E-MAIL: VP.POSTING@GMAIL.COM

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 31(ख) के प्रावधानान्तर्गत उप–प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक:17.02.2023 के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर निदेशालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था–डीपीसी/प्रभाग–2/उपप्राचार्य/2022–2023( ) दिनांकः 21.02.2023 के द्वारा प्राध्यापक–स्कूल शिक्षा के कार्मिकों को उप–प्राचार्य एवं समकक्ष पद (अनुसूची–I) पर पे–मैट्रिक्स लेवल–14 में डीपीसी वर्ष 2022–23 के लिए वरिष्ठता सह–योग्यता के आधार पर चयनित किया गया तथा निदेशालय के पत्रांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी1–बी2/45001/उप प्राचार्य/डीपीसी पदस्थापन/2022–23/2023/ दिनांकः 27.02.2023 के द्वारा चयनित सभी कार्मिकों को अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता अनुसार क्रमोन्नत मानते हुए यथावत कार्यग्रहण करने के निर्देश प्रदान किये गये।

उक्तानुसार डीपीसी वर्ष 2022–23 में प्राध्यापक–स्कूल शिक्षा से उप–प्राचार्य एवं समकक्ष पद पर चयनित संलग्न सूची में विवरणांकित कार्मिकों को डी.बी. स्पेशल अपील संख्या–461/2023 राज्य सरकार बनाम अजय कुमार रोहिल्ला व अन्य (अन्तर्गत एस.बी. सिविल याचिका संख्या–7643/2022 अजय कुमार रोहिल्ला व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाएं) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित समेकित आदेश दिनांकः 10.02.2025 द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 461/2023 सरकार बनाम अजय कुमार रोहिल्ला को अन्य डी.बी. अपील संख्या 116/2025, 117/2025, 118/2025 एवं 120/2025 के साथ समेकित निर्णय द्वारा निस्तारित करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि "उप–प्राचार्य एवं प्राचार्य पदों के लिये डीपीसी/रिव्यू डीपीसी आयोजित करें, काउंसलिंग पर पदस्थापन प्रदान करें। उक्त आदेश न्यायालय द्वारा हस्तगत अपीलों एवं एकलपीठ द्वारा पारित सभी आदेशों को सुपरसीड करेगा", की अनुपालना में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान पर ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से उप–प्राचार्य एवं समकक्ष पद (पे लेवल–14) में पदोन्नति पर निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन पदस्थापित किया जाता है:–

1. संबंधित चयनित कार्मिकों की उक्त पदोन्नति/पदस्थापन उक्तानुसार हस्तगत याचिकाओं के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. संबंधित नियंत्रण अधिकारी/संस्था प्रधान कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्मतिथि एवं धारित अर्हता एवं विभागीय जांच (सीसीए नियम 16 व 17 में) बकाया नहीं होने का मिलान कर पुष्टि करेंगे।
3. समस्त नियंत्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष उक्त नव पदोन्नत कार्मिकों का वेतन नियतन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक:16.03.2023 के प्रावधानान्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. सभी संबंधित संस्था प्रधान/सीबीईओ को संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) से सम्पर्क स्थापित कर दिव्यांग कार्मिकों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एवं कार्मिकों के दिव्यांगता/दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करावें। पूर्णरूप से नेत्रहीन/दृष्टिहीन कार्मिकों की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है एवं जिन कार्मिकों की नियुक्ति दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही हुई है उन्हें उक्त मेडिकल जांच पुनः करवाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

E-MAIL: VP.POSTING@GMAIL.COM

संलग्न सूची के संबंधित चयनित कार्मिक पदोन्नति पर अपने नवीन पदस्थापन के स्थान पर दिनांकः 05.03.2025 तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण आवश्यक रूप से करेंगे। संबंधित नियंत्रण अधिकारी/संस्था प्रधान कार्यग्रहण हेतु उक्त निर्धारित तिथि 05.03.2025 से एक दियस पूर्व अनिवार्य रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे, कार्युमक्त नहीं किये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान की जिम्मेवारी तय की जाएगी। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के चयनित कार्मिकों के पदस्थापन हेतु कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण किये जाने के कार्य का प्रभावी प्रबोधन करेंगे।

संलग्नः—कार्मिकों की सूची (क्र.सं. 01 से 1497)

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्र.:शिविरा—माध्य/संस्था/बी1—बी2/45001/उपप्राचार्य/डीपीसी—पदस्थापन/2022—23/2023/E-3945/
दिनांकः यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं, राजस्थान, बीकानेर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माशि व प्राशि/डाइट्स/अतिरिक्त जिला परियोजना निदेशक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
12. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक), कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
14. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ/डीपीसी/वरिष्ठता एवं नियम/विभागीय जांच/संस्थापन—सी, कार्यालय हाजा।
15. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :27-02-2025 02:05:42